न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 09.03.2024

राजस्व वाद संख्या : 04/2024
निर्णय दिनांक : 09.03.2024
जीसीएमएस संख्या– 2024/9 दायर दिनांक – 08.01.2024

अनीता कंवर पुत्री बालसिंह पत्नी भंवर सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासीनी ग्राम खारा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू हाल निवासीनी ग्राम मोटलाबास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)

................वादीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

.................प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल बिश्शु एडवोकेट वादीनी
2. प्रतिवादी संख्या 02 पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीनी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग व उपभोग का खेत खसरा संख्या 37 रकबा 1.4668 हैक्टेयर, खसरा संख्या 88 रकबा 5.3994 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 6.8662 हैक्टेयर रोही ग्राम खारा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है, जिसका वर्तमान खाता संख्या 73 है, जिसमें वादीनी का नाम पुनमकंवर पुत्री बालसिंह अंकित है। वादीनी के दस्तावेजात में वादीनी का सही नाम अनीता कंवर दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम दर्ज होने से वादीनी सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने से वंचित हो रही है। इसलिए वादीनी को अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में सही करवाना आवश्यक हो गया है जिसकी वह कानूनन अधिकारीणी है।

वादीनी का वाद रिकॉर्ड दुरूस्ती का है तथा वादगत खेत की भूमि रोही ग्राम खारा तहसील सुजानगढ़ में स्थित है इसलिए वाद को सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.06 15:41:32 IST
Reason: SelfAttested

वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 37 रकबा 1.4668 हैक्टेयर, खसरा संख्या 88 तादादी 5.3994 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 6.8662 हैक्टेयर भूमि रोही ग्राम खारा तहसील

9.3.24
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

9.3.24
अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

सुजानगढ़ जिला चूरू की खातेदारी में वादीनी का नाम अनीता कंवर पुत्री बालसिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम खारा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.) अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत खसरा संख्या 37 रकबा 1.4668 हैक्टेयर, खसरा संख्या 88 रकबा 5.3994 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 6.8662 हैक्टेयर भूमि रोही खारा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में वादीनी का नाम विरासतन नामान्तकरण संख्या 143 दिनांक 05.03.2008 के द्वारा पुनमकंवर दर्ज हुआ है जबकि वादीनी के दस्तावेजात में नाम अनिताकंवर अंकित है। वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अनिताकंवर किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की फोटो प्रति, जन आधार कार्ड की फोटो प्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रति आदि दस्तावेजात में भी वादीनी का नाम अनिता कंवर पुत्री बालसिंह अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादीनी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादीनी राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 37 रकबा 1.4668 हैक्टेयर व खसरा संख्या 88 रकबा 5.3994 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 6.8662 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम खारा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादीनी का नाम पुनमकंवर पुत्री बालसिंह जाति राजपूत निवासी खारा खातेदार के स्थान अनिता कंवर पुत्री बालसिंह जाति राजपूत निवासी खारा खातेदार पर दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.06 15:41:32 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

9.3.24
पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़